विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-43/15

मेसर्स खान भाई आईस केन्डी कंपनी — आवेदक
द्वारा– पार्टनर फखरूद्दीन
निवासी–मंडी बाजार, बुरहानपुर म.प्र.

विरूद्ध

प्रबंध संचालक — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इंदौर म.प्र.

अधीक्षण यंत्री
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बुरहानपुर म.प्र.

कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बुरहानपुर म.प्र.

पुनरीक्षित आदेश

(दिनांक 15.09.2017 को पारित)

01 प्रकरण क्रमांक एल00–43/15 मेसर्स खान भाई आईस केन्डी कंपनी, बुरहानपुर विरूद्ध अधीक्षण यंत्री, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. एवं अन्य 1 में विद्युत लोकपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 5.3 के प्रावधान अनुसार प्रबंध संचालक, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर ने माननीय आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 21.08.2017 में दिये निर्देश के अनुसरण में दिनांक 02.07.2016 के निर्णय में संशोधन किया जाना है।

02 माननीय आयोग द्वारा लोकपाल के आदेश दिनांक 02.07.2017 की समीक्षा करने पर पाया गया कि – it is observed that the cases relate to deficit billing by applicant on premise of respondents undertaking for payment of legitimate dues if at all arises & bill to them in future. It is further observed that in the tariff order issued by the Commission on 30.11.2002 there is a provision of billing low power factor surcharge to the HT consumers if their average monthly power factor is below 90%.

अतः उपरोक्त अनुसार आयोग द्वारा आवेदक एवं अनावेदक को सुनवाई करने के पश्चात विद्युत लोकपाल को आदेश दिनांक 02.07.2016 की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया है।

03 माननीय आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराने बाबत दोनों पक्षों को विद्युत लोकपाल कार्यालय में दिनांक 13.09.2017 को बुलाया गया, जिसमें अनावेदक की ओर से मोहम्मद आमिर, कार्यपालन यंत्री, बुरहानपुर तथा आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी उपस्थित हुए। उभय पक्षों को माननीय आयोग के आदेश दिनांक 21.8.2017 से अवगत कराया गया।

04 आवेदक की ओर से श्री बी.एच. अंसारी, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा निम्न लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई –

अ उपरोक्त प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी को अीयावेदन की प्रति प्रदान नहीं की है।

ब मा. आयोग ने उपरोक्त प्रकरण में अपीलार्थी को नेचरल जस्टिस के सिद्धांत के मुताबिक कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, ना ही अपीलार्थी को उपरोक्त प्रकरण में उपस्थित होने और सुनने का अवसर प्रदान किया है।

स प्रतिअपीलार्थी ने मा. आयोग के समक्ष रेग्युलेशन में दर्शाये अनुसार निर्धारित समयावधि में मा. विद्युतीलोकपाल महोदय के आदेश से 30 दिन के अंदर अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

द उपरोक्त प्रकरण की समस्त कार्यवाही से अपीलार्थी के वैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है।

च अपीलार्थी मा. आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 को मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में चैलेंज करना चाहता है, जिसके लिये अपीलार्थी को दो माह का समय प्रदान करें और वर्तमान प्रकरा स्थगित रखने की कृपा करें। अन्यथा अपीलार्थी को आर्थिक क्षति होगी और अपूर्ण हानि होगी।

05 उपरोक्त आपत्ति के संबंध में आवेदक को बताया गया है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 5.3 के तहत माननीय आयोग को विद्युत लोकपाल/फोरम के आदेश की समीक्षा कर एवं आदेश यदि अधिनियम/नियमों/विनियमों/टैरिफ आदेशों/संहिताओं/ आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के विपरीत है तो आदेश की पुनः समीक्षा करने के आदेश देने का प्रावधान है।

06 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 21.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाना है अतः उन्हें दो माह का समय दिया जाए तथा दो माह के लिए प्रकरण स्थगित रखा जाए। इस संबंध में आवेदक के अधिवक्ता के कथन पर विचार कर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय पर संबंधित द्वारा निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी।

07 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 5.3 में निम्न प्रावधान किया गया है –

> ***5.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा शिकायतकर्ता आयोग को आदेश की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्रकरण में उचित निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, यदि उनका मत हो कि फोरम/विद्युत लोकपाल ने ऐसा आदेश पारित किया***

है जो कि अधिनियम/नियमों/विनियमों/टैरिफ आदेशों/संहिताओं/आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के सुसंगत नहीं है । आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों में जारी किये गये दिशा–निर्देश फोरम/विद्युत लोकपाल/अनुज्ञप्तिधारियों हेतु बन्धनकारी होंगे ।

08 विद्युत लोकपाल कार्यालय में दर्ज उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं तथ्यों के आधार पर उपभोक्ता के विरूद्ध पॉवर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त करने का निर्णय निम्न तर्कों के आधार पर लिया था–

(i) आवेदक के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जब तक एल.टी. में बिलिंग होती रही तब तक अनावेदक द्वारा यह मानते हुए कि आवेदक द्वारा सही क्षमता के कैपेसिटर लगाये गये हैं जिसके कारण निर्धारित सीमा तक पावर फैक्टर संधारित हो रहा है। इसलिए निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग नहीं की गई और जैसे ही निम्नदाब विद्युत कनेक्शन को उच्चदाब कनेकशन में परिवर्तित किया गया तो उसी मीटर जिसमें कि एम.आर.आई. द्वारा डाटा डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध थी निम्न पावर फैक्टर की बिलिंग प्रारंभ कर दी गई। जबकि परिसर में उसी क्षमता के एल.टी. कैपेसिटर चालू हालत में थे। (एनेक्सर–1 में भी उल्लेख किया गया है) अतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नदाब एवं उच्चदाब बिलिंग में दौहरी नीति के अनुसार निम्न पावर फैक्टर की बिलिंग करना न्याय संगत नहीं है तथा जैसे ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नया मीटर आवेदक के परिसर में लगाया गया वैसे ही पावर फैक्टर स्वतः सुधर कर कभी भी किसी भी माह में 0.8 से कम दर्ज नहीं हुआ, जो इस बात को इंगित करता है कि पूर्व में स्थापित मीटर द्वारा पावर फैक्टर सही ढंग से रिकार्ड नहीं किया जा रहा था।

(ii) यदि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश वर्ष 2002–03 के तहत अनावेदक द्वारा निम्नदाब कनेक्शन से उच्चदाब कनेक्शन में बिलिंग परिवर्तित करते समय इंस्टेंटेनियस (instantaneous) पैरा मीटर रिकार्ड करने के मीटर एल.टी. साइड लगा दिया जाता तो मीटर द्वारा सही पावर फैक्टर दर्ज किया जाता एवं आवेदक को उक्त अवधि में निम्न पावर फैक्टर के सरचार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ता अथवा पुराने मीटर द्वारा दर्ज किलोवॉट एवं केवीए के अनुपात की गणना मीटर में दर्ज पावर फैक्टर से तुलना की जाती तब भी इस स्थिति में भी दोनों पावर फैक्टर की भिन्नता देखकर सही पावर फैक्टर को सुनिश्चित किया जा सकता था। परन्तु अनावेदक द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज के विरूद्ध की गई वसूली निरस्त करने योग्य है। जबकि माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2002–03 के टैरिफ आदेश में उच्चदाब उपभोक्ताओं को न्यूनतम 0.9 पॉवर फैक्टर निर्धारित संधारण करने का प्रावधान किया है जिसके अनुसार प्रकरण से संबंधित आवेदक द्वारा कम पॉवर फैक्टर संधारित किया गया। अतः इसके विरूद्ध लगाये गये पॉवर फैक्टर के सरचार्ज की राशि पर सरचार्ज अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाया गया। जबकि म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. के परिपत्र दिनांक 7.11.2003 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ऐसे न्यूनतम उपभोक्ता जिसका कि लोड 100 एचपी से ज्यादा है उन्हें स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के बाद उच्च्दाब कनेक्शन में परिवर्तित किया जाना है, जबकि विवादित अवधि में आवेदक द्वारा अपना निम्नदाब का कनेक्शन को उच्चदाब कनेक्शन में परिवर्तित नहीं किया एवं 3 प्रतिशत ट्रांसफार्मेशन लास जोड़कर उनकी निर्धारित उच्चदाब टैरिफ से बिलिंग प्रारंभ की गई एवं सिर्फ सहमति पत्र के आधार पर बाद में उनसे जुलाई 2003 से दिसंबर 2003 की अवधि में कम पॉवर फैक्टर पर सरचार्ज लिया जाना उचित नहीं था जबकि इस अवधि में उनके विद्युत देयक में औसत पॉवर फैक्टर 0.0 दर्शाया गया है, जिससे कि आवेदक को यह पता नहीं चल पाया कि वास्तव में उनका क्या पॉवर फैक्टर दर्ज हो रहा है। क्योंकि परिसर में लगे मीटर में इन्स्टेनियस पॉवर फैक्टर दर्ज होने का कोई पैरामीटर नहीं था एवं

मीटर की एमआरआई होने के पश्चात ही औसत पॉवर फैक्टर मालूम पड़ता था एवं एमआरआई की प्रति भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। जब तब कि उपभोक्ता द्वारा एमआरआई की मांग नहीं की जाए, जिसका कि उल्लेख अनुज्ञप्तिधारी की परिपत्र दिनांक 7.11.2003 में किया गया है।

09 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 5.3 के अनुसार माननीय आयोग विद्युत लोकपाल का आदेश जो कि अधिनियम/नियमों/विनियमों/टैरिफ आदेशों/ संहिताओं/ आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत हो, तब माननीय आयोग द्वारा दिये गये निर्देश विद्युत लोकपाल के लिए बंधनकारी होंगे।

10 विद्युत लोकपाल द्वारा प्रकरण की समीक्षा करने पर पाया गया कि मान. आयोग द्वारा निर्देश के अनुपालन में आवेदक द्वारा जुलाई 2003 से दिसंबर 2003 की अवधि में निर्धारित पॉवर फैक्टर 0.9 नहीं संधारित किया गया है। अतः वर्ष 2002–03 के टैरिफ आदेश में दिये गये प्रावधान के अनुसार अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके द्वारा दी गई सहमति के आधार पर पॉवर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग की जाना उचित है। तदनुसार विद्युत लोकपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.07.2016 निरस्त किया जाता है ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल